न्यायालय उपखण्डाधिकारी किशनगढ़-बास (अलवर)
राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार शिविर ग्राम पं. मु. बधेरीकलां
==

पीठासीन अधिकारी :- श्री सुभाष यादव आर.ए.एस.
बैंच सदस्य :- श्री कमलेश कुमार शर्मा सेवा निवृत तहसीलदार

दावा संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
52	25-4-18	7-5-18

उनवान

1- लेखराम पुत्र हरिराम जाति गूर्जर निवासी सेवखेडा तहसील किशनगढ़-बास जिला अलवर :-वादी

बनाम

1- राज. सरकार जर्ये तहसीलदार किशनगढ़-बास :- असल प्रतिवादी

2- सोवाई पत्नि हरिराम
3- रामप्रसाद
4- लालाराम
5- सुबेसिंह
6-श्याराम
7- संजय कुमार पुत्रान हरिराम जाति गूर्जर निवासी सेवखेडा तहसील किशनगढ़-बास जिला अलवर :- तर. प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 89 आर.टी.एक्ट.

::निर्णय::

आज पत्रावली लोक अदालत में पेश हुई। वादी उपस्थित असल प्रति0 उपस्थित असल प्रति0 ने जवाबदावा पेश किया। पक्षकारान को सुना गया। दावे के तथ्य निम्न प्रकार से हैं:-

वादी ने वाद पेश किया कि आ. नं. 1223/1.30 का 63/103 भाग 256/0.27 का 1/4 भाग 1231/1.43 का 2/3 भाग, 1040/0.97 का 1/6 भाग वाके ग्राम अलमदीका तहसील किशनगढ़-बास पर मिन वादी के पिता हरिराम पुत्र शंकर राम काबिज काश्त रहे उनके फौत होने के बाद मिन वादी वो तर. प्रति. काबिज काश्त है। मिन वादी व तर. प्रति. के पिता/पति का सही नाम हरिराम पुत्र शंकर राम है ग्राम अलमदीका की जमाबन्दी में हरिराम के बजाय हरिसिंह गलत दर्ज हो गया। जबकि ग्राम सेवखेडा की जमाबन्दी में सही नाम हरिराम ही अंकित है तथा मत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पहचान पत्र सैना से सेवा निवृती कार्ड में हरिराम ही अंकित है। सभी रिकार्ड पेश किया जा रहा है तथा सुरेश पुत्र चेतराम सा. बधेरीकलां का शपथ पत्र, स्वयं वादी का शपथ पत्र पेश किया है।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि बाद जाँच वाद वादी डिक्री फरमाया जाकर वादी के पिता का नाम हरिसिंह के बजाय हरिराम दर्ज कराया जावे।

Scanned by CamScanner

आज लोकर अदालत में उपस्थित ग्रामवासियान व सरपंच ग्राम पंचायत से जाँच कराई तथा पटवारी हल्का से जाँच कराई गई। पटवारी हल्का द्वारा मौका पर्चा तैयार कर पेश किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजा व शपथ पत्र तथा मौका पर्चा अनुसार वादी के वाद की भली भाँति पुष्टि होती है। लोकर अदालत की भावना से वाद वादी डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अत : आदेश हैं कि :-

वादी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी लोक अदालत की भावना से डिक्री किया जाता है कि आ. ख. नं. 1223/130 का 63/103 भाग 526 /0.27 का 1/4 भाग, 1231/1.43 का 2/3 भाग, 1040/0.97 का 1/6 भाग वाके ग्राम अलमदीका तहसील किशनगढ़-बास की हाल जमाबन्दी में वादी व तर. प्रति. के पिता/पति का ~~ईई~~ नाम हरिसिंह पुत्र शंकरराम दर्ज किया हुवा है उसे हजफ किया जाकर उसके स्थान पर हरिराम पुत्र शंकरराम दर्ज किया जावे। तदानुसार ही दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। खर्चा वाद वादी स्वंय वहन करेगा। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल रिकार्ड हो। निर्णय लोक अदालत में सुनाया गया।

पीठासीनअधिकारी
राजस्व लोकर अदालत 2018

पंच सदस्य

Scanned by CamScanner